<u>न्यायालय– अपर सेशन न्यायाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।</u>

पीठासीन अधिकारीः– महावीर सिंह चारण, RJS
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

वि०फौज० (जमानत)प्रकरण सं. – 258/2026
CIS No. – 258/2026
CNR No. – RJSG110006242026

विजयपाल पुत्र चेतराम, निवासी माणकसर, पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य।

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS)

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से – विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील बिश्नोई ।
राज्य की ओर से – विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री संजय सोढा ।

<u>आदेश</u>

<u>दिनांक :– 10.06.2026</u>

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिए अधिवक्ता यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) के तहत पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर, जिला श्रीगंगानगर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2026 अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के संबंध में प्रस्तुत किया जाने पर जमानत आवेदन की एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई जाकर जमानत आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। जमानत आवेदन से संबंधित केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट के पेश हुई।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 05.06.2026 को रामकुमार सउनि पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर मय जाब्ता वास्ते करने गश्त रवाना इलाका थाना को हुआ। गश्त करता हुआ वक्त 6.10 पीएम पर सरदारगढ़ मोड़ पहुंचा तो जरिये मुखबिर खास के इत्तला मिली कि एक व्यक्ति क्रीम कलर शर्ट व ग्रे कलर की पेंट पहने हुए हैं, जिसके हाथ में एक पीले रंग की प्लास्टिक थैला जिसमें देशी शराब है, जो 28 पीबीएन

से एक केएसआर को जाने वाला कच्चा रास्ता से एक केएसआर आ रहा है, जो किसी को शराब बेचने की फिराक में है। इत्तला की तस्दीक हेतु एक केएसआर से 28 पीबीएन को जाने वाला कच्चा रास्ता पर पहुंचा तो सामने से मुखबिर के बताये हुलिया का एक व्यक्ति अपने हाथ में पीले रंग का प्लास्टिक थैला लेकर आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस वाहन व बावर्दी पुलिस पार्टी देखकर रास्ता के किनारे छुपने की कोशिश करने लगा व अपने हाथ में पकड़े थैला को छुपाने की कोशिश करने लगा। शख्स की गतिविधियां संदिग्ध होने पर रोककर नाम पता पूछा तो अपना नाम विजयपाल पुत्र चेतराम निवासी माणकसर होना बताया। शख्स को पुलिस पार्टी को देखकर अचानक तेज तेज कदमों से चलने व छुपने का कारण पूछा व प्लास्टिक थैला में क्या है, बाबत पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया। विजयपाल के पास पीले रंग के प्लास्टिक थैला को खोलकर चैक किया तो थैला में देशी मदिरा शराब लाल ढक्कन पव्वे मिले, जिसे विजयपाल ने देशी शराब होना बताया। जिस पर थैला को चैक किया तो थैले में 48 पव्वे देशी मदिरा लाल ढक्कन मिली। प्रत्येक पव्वा पर देशी मदिरा स्ट्रोंग मदिरा 180 एमएल लिखा हुआ है। विजयपाल को अपने कब्जा देशी मदिरा की इतनी मात्रा में रखने बाबत लाइसेंस/परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। जुर्म धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम में दंडनीय अपराध होने पर विजयपाल के पास मिले थैला में बरामद देशी मदिरा के 48 पव्वों में से एक पव्वा शराब बतौर सैंपल अलग निकाल कर कांच के पव्वा में डालकर सीलमोहर कर मार्क ए अंकित किया और शेष बचे 47 पव्वे देशी मदिरा व एक खाली प्लास्टिक पव्वे को उसी पीले रंग के प्लास्टिक थैला में रहने दिया जाकर सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया गया। विजयपाल को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द मूर्तिब की गई... इत्यादि। उक्त फर्द के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान दिनांक 05.06.2026 को गिरफ्तारशुदा प्रार्थी/अभियुक्त को विचारण न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ में पेश करने पर अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) दिनांक 06.06.2026 को खारिज किया जाने से उसकी ओर से यह जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) पेश किया गया है।

03. बहस जमानत सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत

आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं तर्कों में निवेदन किया कि प्रार्थी /अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। कथित बरामदशुदा शराब से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। प्रकरण में जांच पूर्ण हो चुका है तथा प्रकरण के विचारण में लम्बा समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त कई दिनों से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया एवं तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त के चैतन्य कब्जे से एक प्लास्टिक के थैले में से 48 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद होने का आरोप है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतःअपराध की गंभीरता के मद्देनजर जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

04. उभय पक्ष के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन करने एवं अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन उपरांत यह तथ्य प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अब तक के अनुसंधान से धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा **S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 13513/2020 Jugal V/s State** में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 में दिये गये निर्देशों की रोशनी में अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का निम्न आपराधिक इतिहास होना प्रकट होता हैः–

क्र. सं.	मुकदमा नंबर	पुलिस थाना	अंतर्गत धारा	सीएस नंबर मय दिनांक	चालान दिनांक	नतीजा न्यायालय
1	352/25.10.95	सूरतगढ़ शहर	323, 341, 34 IPC	218/31.10.95	31.10.95	राजीनामा बरी 25.11.95
2	358/28.10.95	सूरतगढ़ शहर	447, 323, 34 IPC	217/31.01.95	31.10.95	राजीनामा बरी 25.11.95
3	53/01.01.14	हनुमानगढ़ सदर	341,427,395,511 IPC	...	चालान	विचाराधीन
4	201/01.03.14	हनुमानगढ़ जंक्शन	353 IPC	...	चालान	विचाराधीन

इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में दर्ज 04 प्रकरणों में से 02

प्रकरणों में जरिये राजीनामा दोषमुक्त किये जाने व 02 प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन होने का तथ्य प्रकट होता है।

वर्तमान प्रकरण अन्वेषणाधीन है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में लंबा समय लगने की संभावना निर्मूल नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर, प्रकरण के समग्र हालात को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि हस्तगत जमानत आवेदन में इस न्यायालय द्वारा प्रकट किया गया कोई भी मत प्रकरण के गुणावगुण पर कोई भी प्रभाव नहीं रखेगा।

05. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त विजयपाल पुत्र चेतराम , निवासी माणकसर, पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से सुनवाई के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति हेतु राशि 50 हजार रुपये का मुचलका एवं 25–25 हजार रुपये राशि की दो जमानत (रंगीन फोटो चस्पाशुदा सहित), विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिये जावें तो उसे इस प्रकरण में तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जावे। न्यायिक दृष्टांत **In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dtd. 31.01.2023** की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(महावीर सिंह चारण)

06. आदेश आज दिनांक 10.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(महावीर सिंह चारण)